UPUN010074732024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–3, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– प्रेम प्रकाश, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06506

दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–173/2024

सिराजुल अहमद पुत्र लम्बे उर्फ मुन्ना, निवासी–फतेहपुर हमजा थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव। .....**निगरानीकर्ता**

बनाम

1–	सुलेमान पुत्र ईशा मास्टर	।	
2–	रिहान पुत्र ईशा मास्टर	।	निवासीगण ग्राम फिरोजाबाद
3–	हसीना पत्नी आरिफ	।	थाना अजगैन, जिला उन्नाव।
4–	रूबीना पुत्री आरिफ	।	
5–	महक पुत्री आरिफ	।	
6–	सूफियान पुत्र मंसूर	।	निवासीगण ग्राम कांटा गुलजारपुर
7–	नर्गिश पत्नी मंसूर	।	थाना बेहटामुजावर, जिला उन्नाव
8–	शबा पुत्री मंसूर	।	
9–	मैसर पत्नी शब्बन	।	निवासीगण ग्राम मदारपुर थाना
10–	मोनिश पुत्र शब्बन	।	बांगरमऊ, जिला उन्नाव
11–	शब्बन पुत्र मंगलू	।	

12– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उन्नाव।

.....**विपक्षीगण**

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सिराजुल अहमद द्वारा धारा–438, 440 बी0 एन0 एस0 एस0 के तहत विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–1, उन्नाव, द्वारा परिवाद 647/2021, सिराजुल अहमद बनाम सुलेमान आदि में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित–01.08.2024 के विरूद्ध योजित की गयी है। जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी के साक्ष्य अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु कोई आधार न पाते हुए अभियुक्तगण को धारा 245 दं0प्र0सं0 में उन्मोचित किया गया है।

2– फौजदारी निगरानी के तहत संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि, निगरानीकर्ता के परिवाद में तलवी आदेश दिनांक 16.05.2022 के विरूद्ध विपक्षीगण सुलेमान आदि द्वारा श्रीमान् जी के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं0–40/24 दि० 22.11.2023 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें, प्रार्थी को दिनाक 06.12.2023 को उपस्थित होने हेतु सम्मन प्राप्त हुए थे। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी सं0–40/24 में आपत्ति दिनांक 20.07.2024 को प्रस्तुत की गई थी उक्त निगरानी सुनवाई हेतु श्रीमान् जी के समक्ष विचाराधीन न्यायालय थी उभय पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण याचिका आधारहीन होने के कारण दिनाक

02.08.2024 को निरस्त कर दी गई थी और तलबी आदेश दिनांक 16.05.2022 को पुष्ट किया गया था तथा आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। **इसी दौरान विपक्षीगण सुलेमान आदि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय के कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली 647/2021 को दबवा दिया गया** निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मई से कार्यालय कर्मचारियों द्वारा **कहीं मिश बन्डलिंग हो जाने की बात कहकर पत्रावली नही दी गई और हस्ताक्षर भी नही कराये गये** तथा अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों की मिली भगत से परिवादी ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय को सही तथ्य नही बताया कि उसके द्वारा उक्त तलबी आदेश के विरूद्ध निगरानी की गई थी पेशकार मुशीर अहमद से कई बार प्रार्थी अपनी पत्रावली खोजकर पेशी बताये जाने की बात कही और यह भी बताया कि उक्त पत्रावली में तलबी आदेश के विरूद्ध निगरानी श्रीमान् जिला जज महोदय के न्यायालय में सुलेमान आदि द्वारा प्रस्तुत की गयी जो विचाराधीन है उक्त निगरानी सं0–40/24 दिनांक 02.08.2024 को श्रीमान् जी द्वारा खारिज कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय के पेशकार द्वारा निगरानीकर्ता के परिवाद सं0–647/2021 में दिनांक 16.07.2024 को साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 का अवसर समाप्त करा दिया गया और दिनाक 01.08.2024 को अन्तर्गत धारा–245 द०प्र०सं० में निगरानीकर्ता का परिवाद साजिशन उन्मोचित/खारिज करा दिया गया दिनांक 02.08.2024 को नकल दे दी गयी जो कि गैर कानूनी है अवर न्यायालय ने आदेश दिनाक 01.08.2024 पारित करने में गलती की है इसलिए निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने कई बार अधीनस्थ कार्यालय के पेशकार मुंशीर बाबू से पत्रावली ढूढने की बात कही किसी ने कोई गौर नही किया। उक्त निगरानी खारिज होने के बाद भी कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी/निगरानीकर्ता की उक्त परिवाद के बारे में कोई सही जानकारी नही दीगई और बताया गया कि पत्रावली पी०ओ० महोदय के पास रखी है काफी परेशान होने के बाद प्रार्थी ने जब ऑफिस में जाकर कर्मचारियों के विरूद्ध अपनी नाराजगी जाहिर की और फाइल गायब करने का आरोप प्राइवेट कर्मचारी पियूष पर लगाया और बडे बाबू से कहा कि हमारी उक्त फाइल सिराजुल बनाम सुलेमान लगभग 5 महीने से गायब है और उसे पियूष व मुशीर बाबू ने अभियुक्त सुलेमान आदि से सांठ–गांठ करके कही छिपाकर रख दिया है हमें उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में कोई सही जानकारी नही दी जा रही है इसकी शिकायत हम जिला जज महोदय से करेगें तब दिनांक 10.10.2024 को तो पियूष ने अपने पास से पत्रावली निकालकर दी और बताया कि यह 01.08.2024 को पेशकार द्वारा फाइल खारिज करायी जा चुकी है तब प्रार्थी व कार्यालय कर्मचारियों में काफी तीखी व गरमागरम नोक झोंक हुई और कहा गया कि तुम लोगो ने सुलेमान आदि से मिलकर हमारे साथ बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य किया है विवश होकर प्रार्थी ने दिनांक 11, 12, 13 अक्टूबर के अवकाश के पश्चात् न्यायालय खुलने पर दिनांक 14.10.2024 को उक्त आदेश दिनांक 01.08.2024 की प्रमाणित प्रति की मांग की जो प्रार्थी को दिनांक 16.10.2024 को उपलब्ध हो पायी दिनांक 17 10. 2024 को निगरानी तैयार कराने के पश्चात् दिनाक 18.10.2024 को बिना किसी विलम्ब के प्रार्थी/ निगरानीकर्ता श्रीमान् जी के समक्ष उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत कर रहा है जो श्रीमान् जी के न्याय क्षेत्र के अन्तर्गत है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि जानकारी की तिथि दिनांक 10. 10.2024 से नकल प्राप्त होने की तिथि दिनाक 16.10.2024 से निगरानी

को अन्दर मियाद मानकर निगरानी स्वीकार करने की कृपा करें तथा अवर न्यायालय की पत्रावली तलब कर निगरानी, के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनाक 01.08.2024 को निरस्त करने की कृपा करें जिससे अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/निगरानीकर्ता अपना साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 प्रस्तुत कर सके और प्रार्थी को न्याय मिल सके।

3– विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति 8ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि विपक्षीगणों को उक्त परिवाद में तलब किया गया था जिसमें जमानतें भी करा ली थी। उक्त परिवाद में प्रार्थीगण/विपक्षी बराबर हाजिर आते रहे, पर परिवादी स्वयं ही बैठा रहा। दिनांक 21.02.2024 को लगभग सभी की जमानतें हो गयी थी और दिनांक 28.02.2024, 02.04.2024, 01.05.2024, 31.05.2024, 16.07.2024 एवं 01.08.2024 सभी तिथियों पर निगरानीकर्ता को अपने सबूत धारा 244 दं0प्र0सं0 पेश करने का मौका दिया गया। दिनांक 01.08.2024 को जब परिवादी एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया, न ही किसी पेशी पर स्थगन का होना पाया गया। तदानुसार न्यायालय अधीनस्थ द्वारा प्रार्थीगणों/विपक्षीगणों को धारा 245 दं0प्र0सं0 उन्मोचित कर दिया। आदेश पारित दिनांक 01.08.2024 द्वारा न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट द्वारा विधि अनुकूल है जिसमें कोई भी विधिक खामी नहीं है। लिहाजा रिवीजन खारिज किये जाने योग्य है। अतः कथित निगरानी खारिज करने की कृपा करें।

4– विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.08.2024 विधि सम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। अतः फौजदारी निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5– सुना तथा प्रश्नगत आदेश दिनांकित–01.08.2024 का अवलोकन किया। प्रश्नगत आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम उन्नाव ने परिवादी के धारा 244 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य का अवसर समाप्त करते हुए धारा 245 दं0प्र0सं0 में विपक्षीगण/अभियुक्तगण को उन्मोचित कर दिया।

6– क्या विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम उन्नाव द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 01–08–2024 के निष्कर्ष में शुद्वता, वैधता, औचित्य अथवा कार्यवाही की अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी किसी त्रुटि के आधार पर हस्तक्षेप किये जाने योग्य है?

महाराष्ट्र राज्य बनाम राम कृष्ण डोरकर (1995) 1 एमएलजे 558 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि जब तक प्रश्नगत आदेश चकाचौंध करने वाली त्रुटि से पीड़ित है या प्रतिकूल है तब तक उसमें निगरानी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

मूल पत्रावली का अवलोकन किया। मूल पत्रावली के अवलोकन के अनुसार परिवादी सिराजुल अहमद द्वारा विपक्षीगण सुलेमान, रिहान, हसीना, रूबीना, महक, सूफियान, नर्गिस, शबा, मैसर, मोनिश, शब्बन व नेहा के विरूद्ध धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने के आदेश की याचना की गयी।

7– धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में प्रार्थी सिराजुल अहमद ने यह उल्लिखित किया है कि प्रार्थी सिराजुल अहमद पुत्र लम्बे मुन्ना निवासी फतेहपुर हमजा थाना बांगरमऊ जिला उन्नाव का निवासी है। घटना दिनांक 01.06.2021 शाम 06.00 बजे की है। प्रार्थी अपने घर में था

बाहर से सुलेमान ने आवाज दी और उसके साथ पीछे से कई लोग व औरते भी थे। जो दरवाजा खोलने पर अन्दर घुस आये और प्रार्थी को माँ, बहन की गन्दी–2 गालियाँ देने लगे। प्रार्थी जब तक कुछ समझ पाता सभी लोग घर के अन्दर प्रार्थी पर जानलेवा हमला कर दिया खींच कर आंगन में गिराकर लात–घूसो से मारा पीटा। रिहान, सब्बन व मोनिस के हाथ में डण्डा था सभी लोगो ने प्रार्थी को मारा पीटा हंसीना, मैसर, नरगिस, सबा, रूबीना व नेहा और महक ने घर में रखा हुआ प्रार्थी की माँ का जेवर कीमती लगभग 3,00,000/–रू0 और 20,000/– रू0 नगद अलमारी तोड़कर लूट लिया। मारपीट व चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रार्थी के पिता लम्बे मुन्ना व सत्तार मौके पर आ गये जिन्होने मुल्जिमानो को ललकारा व बीच–बचाव कराया। सुलेमान व मैसर ने उनसे भी हाथापाई की और गोली मार देने की धमकी दी। सभी लोगो ने उन्हे बुरी तरह से मारा पीटा उन्हे काफी चोटें आयी लूटपाट व मारपीट करके सभी मुल्जिमान बुलेरो गाड़ी में बैठकर चले गये। साथ में रूबीना व एक वर्ष के पुत्र अलीसान को भी साथ में ले गये। प्रार्थी थाना बांगरमऊ में रिपोर्ट करने गया जहां रिपोर्ट नही लिखी गयी। तब प्रार्थी ने दिनांक 03.06.2021 को अपने पिता की चोटो का मेडिकल जिला अस्पताल में कराया और कप्तान साहब को दरख्वास्त दी। कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्जकर विवेचना किये जाने का आदेश थानाध्यक्ष बांगरमऊ को देने की कृपा करें।

8– आवेदक सिराजुल अहमद के उक्त धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर तत्कालीन विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–2 उन्नाव द्वारा दिनांक 09.08.2021 को आवेदक सिराजुल अहमद के प्रार्थनापत्र धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परिवादी का धारा 200 दं0प्र0सं0 में दिनांक 20.11.2021 को परिवादी का बयान व धारा 202 दं0प्र0सं0 में दिनांक 08.04.2022 को गवाह मुन्ना का बयान तथा दिनांक 26.04.2022 को गवाह सत्तार का बयान अंकित किया गया।

9– तदोपरान्त परिवादी के उक्त परिवाद पर सुनवाई कर तत्कालीन विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–1 उन्नाव द्वारा दिनांक 16.05.2022 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण सुलेमान, रिहान, हसीना, रूबीना, महक, सूफियान, नर्गिस, शबा, मैसर, मोनिश, शब्बन व नेहा कुल 12 लोगों को धारा 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 विचारण हेतु तलब किया गया।

10– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 16.05.2022 को पारित प्रश्नगत तलबी आदेश के विरूद्ध तलबशुदा अभियुक्तगण सुलेमान, रिहान, हसीना, रूबीना, महक, सूफियान, नर्गिस, शबा, मैसर, मोनिश, शब्बन व नेहा द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका सं0–40/2024 सुलेमान आदि बनाम उ0प्र0सरकार आदि प्रस्तुत किया गया।

11– उक्त दाण्डिक निगरानी सं0–40/2024 सुलेमान आदि बनाम उ0प्र0 सरकार माननीय सत्र न्यायाधीश उन्नाव द्वारा सुनवाई के पश्चात दिनांक 02.08.2024 को आदेश पारित करते हुए निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण सुलेमान आदि की दाण्डिक निगरानी निरस्त करते हुए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0–1 उन्नाव द्वारा पारित आलोच्य तलबी आदेश दिनांकित 16.05.2022 पुष्ट किया गया।

12— उक्त दाण्डिक निगरानी के लम्बन के दौरान निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा तलबी आदेश के विरूद्ध दाखिल दाण्डिक निगरानी के तथ्य को मजिस्ट्रेट न्यायालय के संज्ञान में न लाकर मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानतें करवायी। तत्पश्चात मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पत्रावली परिवादी के धारा 244 दं0प्र0सं0 के बयान हेतु नियत की गयी।

13— मजिस्ट्रेट न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि अभियुक्तगण के दाण्डिक निगरानी के लम्बन के दौरान दिनांक 21.02.2024 को अंतिम अभियुक्त सूफियान का आत्म समर्पण व जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसकी जमानत विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा उसी दिन स्वीकृत की गई। तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 28—02—2024, 02—04—2024, 01—05—2024 की तिथि न्यायालय द्वारा नियत की गई है। उपरोक्त नियत तिथियों के उल्लिखित आदेश पत्र में पत्रावली का परिवादी के धारा 244 दं०प्र०सं० के बयान/साक्ष्य हेतु नियत किया जाना उल्लिखित/दर्शित नहीं है। तत्पश्चात अग्रेतर नियत तिथि दिनांक 31—05—2024 को पत्रावली अचानक सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा धारा—244 दं०प्र०सं० के साक्ष्य हेतु नियत की जाती है और परिवादी को अनुपस्थित होना दिखाया जाता है। तत्पश्चात पुनः अग्रेत्तर नियत तिथि 24—06—2024 को परिवादी/निगरानीकर्ता सिराजुल अहमद को अनुपस्थित होना दिखाते हुए साक्ष्य 244 दं०प्र०सं० हेतु परिवादी को एक अवसर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा दिया जाता है। तत्पश्चात पुनः अग्रेत्तर नियत तिथि दिनांक 16—07—2024 को परिवादी को अनुपस्थित होना दिखाते हुए परिवादी का 244 दं०प्र०सं० का साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिनांक 01—08—2024 को अभियुक्तगण की सुनवाई के पश्चात दाण्डिक निगरानी माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश/निर्णय हेतु दिनांक 02—08—2024 को नियत करने के एक दिन पूर्व दिनांक 01—08—2024 को मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा तलबशुदा अभियुक्तगण को धारा—245 दं०प्र०सं० में उन्मोचन के संबंध में आलोच्य आदेश दिनांकित 01.08.2024 पारित किया गया, जबकि निगरानीकर्ता/परिवादी सिराजुल अहमद के अनुसार परिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में नियत पेशी पर जाने पर संबंधित रीडर द्वारा उक्त परिवाद पत्रावली कहीं मिशबण्डलिंग होने के कारण परिवादी को न देने व विपक्षीगण का कार्यालय कर्मचारियों से साठ गांठ का आरोप लगाया गया है।

14— तलबी आदेश के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा दाखिल दाण्डिक निगरानी संख्या 40/2024 की सुनवाई के पश्चात् उक्त दाण्डिक निगरानी में सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय हेतु नियत तिथि दिनांक 02—08—2024 की जानकारी संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को अभियुक्तगण को देना चाहिए था, जिसे तलबशुदा अभियुक्तगण द्वारा न देकर उक्त तथ्य को छिपा लिया गया और उक्त तथ्यों को छिपाकर निगरानी के निर्णय की तिथि दिनांक 02.08.2024 के एक दिन पूर्व दिनांक 01—08—2024 को अभियुक्तगण द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय को धोखे में रखकर उक्त आलोच्य उन्मोचन आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त पारित आलोच्य आदेश के एक दिन पश्चात माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण का दाण्डिक निगरानी सं0—40/2024 सुलेमान आदि बनाम सिराजुल दिनांक 02—08—2024 को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट न्यायालय के तलबी आदेश की पुष्टि की गई है। निगरानी न्यायालय के मत से विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को सचेत रहते हुए दाण्डिक निगरानी के लंबित रहते हुए

परिवादी को धारा 244 दं०प्र०सं० का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था, जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया, जैसा कि पत्रावली के उल्लिखित समस्त आदेश पत्र के अवलोकन से दर्शित है। माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दाण्डिक निगरानी सं0–40/2024 सुलेमान आदि बनाम सिराजुल के दिनांक 02.08.2024 के निस्तारण के पश्चात व अभियुक्तगण की दाण्डिक निगरानी के निरस्त होने व विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय के तलबी आदेश की पुष्टि के पश्चात निगरानीकर्ता/परिवादी सिराजुल अहमद को धारा–244 दं०प्र०सं० का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी का साक्ष्य समाप्त कर अभियुक्तगण को उन्मोचित करने के संबंध में पारित आलोच्य आदेश अनियमित व त्रुटिपूर्ण है व हस्तक्षेप योग्य है।

दाण्डिक निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा जो आधार लिए गए हैं, वह पर्याप्त प्रतीत होते हैं। इस कारण प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0–173/2024 सिराजुल अहमद बनाम सुलेमान आदि स्वीकार होने योग्य है व विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०–01 उन्नाव का आलोच्य आदेश दिनाँकित 01–08–2024 अपास्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी–173/2024, सिराजुल अहमद बनाम सुलेमान आदि स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०–01 उन्नाव द्वारा में पारित आलोच्य आदेश दिनाँक 01–08–2024 अपास्त किया जाता है। संबंधित विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में परिवादी को साक्ष्य को धारा–244 दं0प्र0सं0 का पर्याप्त साक्ष्य का अवसर देते हुए विधि अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही/आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। पक्षकार संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष दिनाँक 24.08.2026 को उपस्थित हों। दाण्डिक निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय की एक प्रति संबंधित विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर रखा जाए। विद्वान अवर न्यायालय की मूल पत्रावली संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस भेजी जाए।

दिनाँक– 14.08.2026

(प्रेम प्रकाश)
जे०ओ० कोड–यू०पी० 6506
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03,
उन्नाव।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक– 14.08.2026

(प्रेम प्रकाश)
जे०ओ० कोड–यू०पी० 6506
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03,
उन्नाव।

तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 28-02-2024, 02-04-2024, 01-05-2024 की तिथि नियत हुई। उक्त आदेश पत्र के अनुसार दिनांक 01-05-2024 की तिथि तक पत्रावली परिवादी के धारा 244 दं०प्र०सं० के बयान/सा&य हेतु न्यायालय से नियत नहीं हुई है। तत्पश्चात नियत दिनांक 31-05-2024 को पत्रावली अचानक 244 दं०प्र०सं० के सा&य हेतु नियत होती है और परिवादी को अनुपस्थित होना दिखाया जाता है। तत्पश्चात अग्रेत्तर नियत तिथि 24-06-2024 को परिवादी के अनुपस्थित होना दिखाते हुए सा&य 244 दं०प्र०सं० हेतु परिवादी को एक अवसर दिया जाता है। तत्पश्चात अग्रेत्तर नियत तिथि दिनांक 16-07-2024 को परिवादी को अनुपस्थित दिखाते हुए परिवादी का 244 दं०प्र०सं० का अवसर समाप्त कर पत्रावली दिनांक 01-08-2024 को वास्ते उन्मोचन/आरोप हेतु नियत किया जाता है। तत्पश्चात दिनांक 01-08-2024 को अभियुक्तगण की निगरानी लंबित रहते हुए व उक्त दाण्डिक निगरानी माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश/निर्णय हेतु दिनांक 02-08-2024 को नियत करने के एक दिन पूर्व दिनांक 01-08-2024 को मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा तलबशुदा अभियुक्तगण को धारा-245 दं०प्र०सं० में उन्मोचन के संबंध में आलोच्य आदेश पारित किया गया। जबकि निगरानीकर्ता/परिवादी के अनुसार परिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में नियत पेशी पर जाने पर संबंधित रीडर द्वारा उक्त परिवाद पत्रावली कहीं मिशबण्डलिंग होने के कारण न देने व वि का कार्यालय कर्मचारियों से साठ गांठ का आरोप लगाया गया है।

15- तलबशुदा अभियुक्तगण/विप&ीगण दाण्डिक निगरानी सुलेमान आदि को तलबी आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा दाखिल दाण्डिक निगरानी संख्या 40/2024 की सुनवाई के पश्चात् उक्त दाण्डिक निगरानी में सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात् निर्णय हेतु नियत तिथि दिनांक 02-08-2024 की जानकारी संबंधित विद्वान मजिस्ट्रेट को देना चाहिए था, जिसे तलबशुदा अभियुक्तगण द्वारा नहीं दिया गया। उक्त तथ्यों को छिपाकर तलबशुदा अभियुक्तगण ने तलबी आदेश को चुनौती देने के बावजूद मजिस्ट्रेट न्यायालय में अपनी जमानत करवाकर निगरानी के निर्णय की तिथि दिनांक 02-08-2024 के एक दिन पूर्व दिनांक 01-08-2024 को मजिस्ट्रेट न्यायालय को धोखे में रखकर उक्त आलोच्य उन्मोचन आदेश प्राप्त कर लिया। माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण का दाण्डिक निगरानी दिनांक 02-08-2024 को खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट न्यायालय के तलबी आदेश की पुष्टि की है और विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय को सचेत रहते हुए दाण्डिक निगरानी के लंबित रहते हुए परिवादी को धारा 244 दं०प्र०सं० का सा&य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था, जो कि विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। निगरानीकर्ता/ परिवादी को धारा-244 दं०प्र०सं० का सा&य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी का सा&य समाप्त कर अभियुक्तगण को उन्मोचित करने के संबंध में पारित आलोच्य आदेश अनियमित व त्रुटिपूर्ण है व हस्तक्षेप योग्य है।

दाण्डिक निगरानी में निगरानीकर्ता द्वारा जो आधार लिए गए हैं, वह पर्याप्त प्रतीत होते हैं। इस कारण प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार होने योग्य है व विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-01 उन्नाव का आलोच्य आदेश दिनाँकित 01-08-2024 अपास्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी-173/2024, सिराजुल अहमद बनाम सुलेमान आदि स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं०-01 उन्नाव द्वारा में पारित आलोच्य आदेश दिनाँक 01-08-2024 अपास्त किया जाता है। संबंधित विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में परिवादी को सा&य का अवसर देते हुए विधि अनुसार अग्रेत्तर आदेश पारित करना सुनिश्चित करें। पक्षकार संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष दिनाँक 24/08/2026 को उपस्थित हों। निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। उक्त निर्णय की एक प्रति संबंधित विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली पर रखा जाए। विद्वान अवर न्यायालय की मूल पत्रावली संबंधित न्यायालय को अविलंब वापस भेजी जाए।

दिनाँकः 14-08-2026

(प्रेम प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-03, उन्नाव।
जे०ओ० कोड-यू०पी० 6506

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँकः 14-08-2026

(प्रेम प्रकाश)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या-03, उन्नाव।
जे०ओ० कोड-यू०पी० 6506